

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF MANAGEMENT SOCIOLOGY & HUMANITIES



ISSN 2277 – 9809 (online)

ISSN 2348 - 9359 (Print)

An Internationally Indexed Peer Reviewed & Refereed Journal

www.IRJMSH.com
www.isarasolutions.com

Published by iSaRa Solutions

पूना पैक्ट एवं पृथक निर्वाचक मंडल : गांधी एवं डॉ. बी. आर. अम्बेडकर के राजनीतिक दृष्टिकोण का तुलनात्मक अध्ययन

डॉ. बृजेश स्वरूप सोनकर

असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग
कर्म क्षेत्र महाविद्यालय, इटावा (उ.प्र.)

सारांश

प्रस्तुत अध्ययन “पूना पैक्ट एवं पृथक निर्वाचक मंडल : गांधी एवं डॉ. बी. आर. अम्बेडकर के राजनीतिक दृष्टिकोण का तुलनात्मक अध्ययन” में पृथक निर्वाचक मंडल की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, गांधी एवं डॉ. बी. आर. अम्बेडकर के राजनीतिक प्रतिनिधित्व संबंधी विचारों तथा पूना पैक्ट के राजनीतिक प्रभावों का विश्लेषण किया गया है। अध्ययन से स्पष्ट हुआ कि अम्बेडकर दलितों के स्वतंत्र एवं प्रभावी राजनीतिक प्रतिनिधित्व को सामाजिक न्याय और राजनीतिक सशक्तीकरण का आवश्यक साधन मानते थे, जबकि गांधी पृथक निर्वाचक मंडल के स्थान पर सामाजिक सुधार, संयुक्त राजनीतिक भागीदारी और राष्ट्रीय एकता को प्राथमिकता देते थे। 1932 के पूना पैक्ट ने पृथक निर्वाचक मंडल के स्थान पर संयुक्त निर्वाचन के साथ आरक्षित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था स्वीकार की और प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए 148 सीटों का प्रावधान किया। अध्ययन से निष्कर्ष निकला कि गांधी और अम्बेडकर के मतभेद दलित प्रतिनिधित्व की आवश्यकता से अधिक उसके स्वरूप, राजनीतिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय एकता से संबंधित थे। पूना पैक्ट ने भारतीय लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा समकालीन संदर्भ में भी यह प्रश्न प्रासंगिक है कि वंचित समुदायों को केवल संख्यात्मक नहीं, बल्कि प्रभावी एवं सार्थक राजनीतिक प्रतिनिधित्व किस प्रकार उपलब्ध कराया जाए।

मुख्य शब्द : पूना पैक्ट, पृथक निर्वाचक मंडल, कम्यूनल अवॉर्ड, गांधी, डॉ. बी. आर. अम्बेडकर, दलित प्रतिनिधित्व, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, सामाजिक न्याय, राष्ट्रीय एकता।

प्रस्तावना

भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में सामाजिक न्याय और राजनीतिक प्रतिनिधित्व का प्रश्न केवल औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करने तक सीमित नहीं था, बल्कि यह भी महत्वपूर्ण था कि भारतीय समाज के ऐतिहासिक रूप से वंचित समुदायों को राजनीतिक सत्ता और निर्णय-निर्माण में किस प्रकार प्रभावी प्रतिनिधित्व प्राप्त हो। विशेष रूप से तथाकथित ‘**Depressed Classes**’ (दलित वर्ग) के राजनीतिक प्रतिनिधित्व का प्रश्न 1930 के दशक में भारतीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न बन गया। 1931 की जनगणना में इन समुदायों की सामाजिक स्थिति का पृथक अध्ययन किया गया और सार्वजनिक सुविधाओं, शिक्षा तथा सामाजिक जीवन में अस्पृश्यता से संबंधित अनेक प्रतिबंधों को दर्ज किया गया। इससे स्पष्ट होता है कि दलित प्रश्न केवल सामाजिक सुधार का विषय नहीं था, बल्कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व और नागरिक अधिकारों से भी गहराई से जुड़ा

हुआ था। औपनिवेशिक शासन के दौरान राजनीतिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था क्रमशः सामुदायिक और वर्गीय आधार पर विकसित हुई। 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम से मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था प्रारंभ हुई और बाद में यह व्यवस्था अन्य समुदायों तक विस्तारित हुई। इसी पृष्ठभूमि में दलित वर्गों के लिए पृथक राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग सामने आई। डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने इसे दलितों की स्वतंत्र राजनीतिक आवाज और अपने प्रतिनिधियों के चयन का महत्वपूर्ण साधन माना। 1931 में प्रस्तुत उनके ज्ञापनों में दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल तथा अपने समुदाय के प्रतिनिधियों को चुनने के अधिकार पर स्पष्ट बल दिया गया था।

गोलमेज सम्मेलन (Round Table Conferences) इस विवाद के राजनीतिक विकास में निर्णायक रहे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में आयोजित हुआ, जबकि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में लंदन में हुआ। द्वितीय सम्मेलन में महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए और डॉ. अम्बेडकर ने दलित वर्गों के राजनीतिक अधिकारों का प्रतिनिधित्व किया। सम्मेलन में संवैधानिक सुधारों के साथ अल्पसंख्यकों और विभिन्न सामाजिक समुदायों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व का प्रश्न प्रमुख विवादों में रहा। अम्बेडकर ने समान नागरिकता, भेदभाव से सुरक्षा और विधायिकाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व जैसे अधिकारों की मांग रखी। 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री **रैम्जे मैकडोनाल्ड ने कम्यूनल अवॉर्ड (Communal Award)** घोषित किया। इसके अंतर्गत दलित वर्गों को भी पृथक निर्वाचक मंडल प्रदान किया गया। इस व्यवस्था में दलित मतदाता अपने समुदाय के प्रतिनिधि का चुनाव पृथक निर्वाचन व्यवस्था के माध्यम से कर सकते थे। डॉ. अम्बेडकर के लिए यह व्यवस्था दलितों को स्वतंत्र राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण थी। दूसरी ओर, गांधी ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का विरोध किया और इसे हिंदू समाज की राजनीतिक एकता के लिए गंभीर समस्या माना। इसी मतभेद ने आगे चलकर गांधी और अम्बेडकर के बीच तीव्र राजनीतिक संघर्ष का रूप लिया।

गांधी ने कम्यूनल अवॉर्ड में दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल के विरोध में 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में आत्मरक्षण उपवास आरंभ किया। इसके बाद गांधी और डॉ. अम्बेडकर सहित दलित तथा अन्य हिंदू नेताओं के बीच वार्ता हुई और **24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट** पर समझौता हुआ। पूना पैक्ट ने पृथक निर्वाचक मंडल के स्थान पर **संयुक्त निर्वाचक मंडल (Joint Electorate)** तथा दलित वर्गों के लिए **आरक्षित सीटों** की व्यवस्था स्वीकार की। प्रांतीय विधानसभाओं में आरक्षित सीटों की कुल संख्या 148 निर्धारित की गई। समझौते में यह भी व्यवस्था थी कि आरक्षित सीटों के उम्मीदवारों के चयन के लिए दलित मतदाता प्राथमिक निर्वाचन में पैनल चुनेंगे, जिसके बाद संयुक्त निर्वाचन द्वारा अंतिम चुनाव होगा। पूना पैक्ट का महत्व केवल 1932 के तत्कालीन राजनीतिक समझौते तक सीमित नहीं था। इसने भारतीय राजनीति में **राजनीतिक प्रतिनिधित्व, सामाजिक न्याय, सामुदायिक पहचान और राष्ट्रीय एकता** के बीच संबंधों को एक महत्वपूर्ण रूप दिया। गांधी और अम्बेडकर दोनों दलितों की स्थिति में परिवर्तन चाहते थे, लेकिन उनके राजनीतिक दृष्टिकोण और प्राथमिकताएँ भिन्न थीं। गांधी सामाजिक एकता और अस्पृश्यता-निवारण को व्यापक राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ते थे, जबकि अम्बेडकर राजनीतिक अधिकार, स्वतंत्र प्रतिनिधित्व और संस्थागत संरक्षण को सामाजिक मुक्ति के आवश्यक साधन के रूप में देखते थे। इस अंतर को समझे बिना पूना पैक्ट की वास्तविक राजनीतिक प्रकृति को पूरी तरह समझना कठिन है।

राजनीति विज्ञान की दृष्टि से यह विषय विशेष महत्व रखता है क्योंकि इसमें प्रतिनिधित्व (Representation), राजनीतिक भागीदारी (Political Participation), सामाजिक न्याय (Social Justice), अल्पसंख्यक अधिकार (Minority Rights), राजनीतिक स्वायत्तता (Political Autonomy) और राष्ट्रीय एकता (National Unity) जैसी मूलभूत अवधारणाएँ एक साथ जुड़ती हैं। अतः प्रस्तुत अध्ययन गांधी और डॉ. अम्बेडकर के मतभेद को केवल ऐतिहासिक विवाद के रूप में न देखकर राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सामाजिक न्याय के दो अलग-अलग दृष्टिकोणों के रूप में विश्लेषित करता है। साथ ही, पूना पैक्ट को भारतीय लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के विकास में एक महत्वपूर्ण संवैधानिक-राजनीतिक पड़ाव के रूप में समझने का प्रयास करता है।

शोध समस्या

दलित समुदाय के राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग और उसके विरोध ने गांधी तथा अम्बेडकर के बीच गंभीर वैचारिक मतभेद उत्पन्न किया। गांधी इसे व्यापक हिंदू समाज और राष्ट्रीय एकता के संदर्भ में देखते थे, जबकि अम्बेडकर इसे दलितों की स्वतंत्र राजनीतिक आवाज और प्रभावी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का साधन मानते थे। पूना पैक्ट इस वैचारिक एवं राजनीतिक संघर्ष का समझौता-आधारित परिणाम था।

शोध का महत्व

पूना पैक्ट और पृथक निर्वाचक मंडल का प्रश्न भारतीय राजनीतिक चिंतन में गांधी और डॉ. बी. आर. अम्बेडकर के दृष्टिकोणों के बीच मौजूद महत्वपूर्ण वैचारिक अंतर को समझने का आधार प्रदान करता है। गांधी राजनीतिक एकता और सामाजिक सुधार के संदर्भ में दलित प्रश्न को देखते थे, जबकि अम्बेडकर राजनीतिक प्रतिनिधित्व को दलित समुदाय के अधिकारों और स्वतंत्र राजनीतिक आवाज से जोड़ते थे। अतः इस विषय का अध्ययन दोनों नेताओं के राजनीतिक विचारों को तुलनात्मक रूप से समझने में सहायक है। प्रस्तुत अध्ययन दलित राजनीतिक प्रतिनिधित्व के ऐतिहासिक विकास को स्पष्ट करता है। औपनिवेशिक काल में प्रतिनिधित्व की व्यवस्था क्रमशः विकसित हुई और 1932 के कम्यूनल अवॉर्ड में दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया। इसके बाद पूना पैक्ट ने इस व्यवस्था को संयुक्त निर्वाचन तथा आरक्षित सीटों की व्यवस्था में परिवर्तित किया। इस परिवर्तन को समझना भारतीय प्रतिनिधित्व-व्यवस्था के विकास के लिए महत्वपूर्ण है।

शोध की आवश्यकता

पृथक निर्वाचक मंडल और आरक्षित निर्वाचन व्यवस्था को प्रायः एक-दूसरे के समान समझ लिया जाता है, जबकि दोनों की राजनीतिक संरचना अलग है। पृथक निर्वाचक मंडल में किसी विशेष समुदाय के मतदाता अपने समुदाय के प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं, जबकि आरक्षित सीटों के साथ संयुक्त निर्वाचन में सभी संबंधित मतदाता चुनाव प्रक्रिया में भाग लेते हैं, लेकिन कुछ सीटें निर्धारित समुदाय के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रहती हैं। इसलिए इन दोनों व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन आवश्यक है।

यह शोध सामाजिक न्याय और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के बीच संबंध को भी स्पष्ट करने की आवश्यकता पूरी करता है। डॉ. अम्बेडकर के राजनीतिक चिंतन में प्रतिनिधित्व केवल चुनावी भागीदारी का प्रश्न नहीं था, बल्कि सामाजिक रूप से वंचित समूहों को निर्णय-निर्माण की संस्थाओं में प्रभावी स्थान देने का माध्यम था। पूना पैक्ट इसी व्यापक प्रश्न के ऐतिहासिक विकास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। अंततः, समकालीन भारतीय लोकतंत्र में

अनुसूचित जातियों और अन्य वंचित समूहों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को समझने के लिए पूना पैक्ट का ऐतिहासिक संदर्भ उपयोगी है। इसलिए यह अध्ययन केवल गांधी और अम्बेडकर के मतभेदों का विवरण नहीं, बल्कि प्रतिनिधित्व, सामाजिक न्याय, राजनीतिक समानता और लोकतांत्रिक समावेशन के बीच संबंध को समझने का प्रयास भी है।

साहित्य पुनरावलोकन

पूना पैक्ट एवं पृथक निर्वाचक मंडल से संबंधित साहित्य का विकास भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, दलित राजनीतिक चेतना, जाति-व्यवस्था, राजनीतिक प्रतिनिधित्व तथा सामाजिक न्याय के व्यापक संदर्भ में हुआ है। उपलब्ध साहित्य में एक ओर गांधी के सामाजिक सुधार और राष्ट्रीय एकता संबंधी विचारों का अध्ययन मिलता है, वहीं दूसरी ओर डॉ. बी. आर. अम्बेडकर के लेखन में राजनीतिक शक्ति, स्वतंत्र प्रतिनिधित्व और दलितों की राजनीतिक स्वायत्तता पर विशेष बल मिलता है। प्रस्तुत अध्ययन के लिए इन दोनों धाराओं के साथ-साथ पूना पैक्ट और कम्यूनल अवॉर्ड से संबंधित ऐतिहासिक अध्ययनों का परीक्षण आवश्यक है -

1. गांधी के राजनीतिक एवं सामाजिक चिंतन से संबंधित साहित्य - गांधी के राजनीतिक चिंतन पर उपलब्ध साहित्य में सत्याग्रह, अहिंसा, स्वराज, सामाजिक सुधार, अस्पृश्यता-निवारण और राष्ट्रीय एकता को उनके राजनीतिक दर्शन के प्रमुख आधारों के रूप में देखा गया है। गांधी का दलित प्रश्न संबंधी दृष्टिकोण मुख्यतः सामाजिक सुधार और व्यापक राष्ट्रीय समुदाय के निर्माण से जुड़ा था। पृथक निर्वाचक मंडल के प्रश्न पर उनका विरोध इसी व्यापक राजनीतिक दृष्टिकोण के संदर्भ में समझा जाता है।

गांधी के मूल लेखन, विशेषकर *Young India*, *Harijan* तथा उनके पत्राचार में अस्पृश्यता को भारतीय समाज की गंभीर समस्या के रूप में स्वीकार किया गया है। उनके राजनीतिक चिंतन का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह था कि सामाजिक विभाजन को राजनीतिक संस्थाओं में स्थायी रूप से संस्थागत करने के बजाय सामाजिक सुधार और राष्ट्रीय एकता के माध्यम से उसका समाधान खोजा जाए। इस दृष्टिकोण को पूना पैक्ट की पृष्ठभूमि में समझना आवश्यक है, क्योंकि गांधी और अम्बेडकर के बीच मूल मतभेद केवल निर्वाचन की तकनीकी व्यवस्था को लेकर नहीं था, बल्कि प्रतिनिधित्व और सामाजिक एकीकरण की अवधारणाओं को लेकर भी था।

2. अम्बेडकर के राजनीतिक चिंतन, जाति और प्रतिनिधित्व संबंधी साहित्य - डॉ. बी. आर. अम्बेडकर के मूल लेखन में जाति-व्यवस्था, सामाजिक असमानता और राजनीतिक प्रतिनिधित्व को परस्पर संबंधित प्रश्नों के रूप में देखा गया है। *Annihilation of Caste*, *What Congress and Gandhi Have Done to the Untouchables*, *States and Minorities* तथा उनके विभिन्न ज्ञापन और राजनीतिक वक्तव्यों में यह विचार मिलता है कि सामाजिक रूप से वंचित समुदायों के लिए केवल सामान्य नागरिक अधिकार पर्याप्त नहीं हैं; उन्हें राजनीतिक संस्थाओं में प्रभावी प्रतिनिधित्व की भी आवश्यकता है। अम्बेडकर के प्रतिनिधित्व संबंधी विचारों में पृथक निर्वाचक मंडल का प्रश्न विशेष महत्व रखता है। 1930-32 के गोलमेज सम्मेलनों में उन्होंने दलित वर्गों के लिए राजनीतिक सुरक्षा और स्वतंत्र प्रतिनिधित्व की मांग की। उनके तर्क का आधार यह था कि यदि दलित प्रतिनिधियों के चुनाव में प्रभावशाली सामाजिक समूहों का निर्णायक नियंत्रण रहेगा, तो निर्वाचित प्रतिनिधि अपने समुदाय के स्वतंत्र हितों को प्रभावी ढंग से व्यक्त नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार अम्बेडकर के

लिए प्रतिनिधित्व केवल विधायिका में सीटों की संख्या का प्रश्न नहीं था, बल्कि राजनीतिक आवाज और स्वायत्तता का प्रश्न था।

3. पूना पैक्ट एवं कम्यूनल अवॉर्ड से संबंधित ऐतिहासिक अध्ययन - पूना पैक्ट पर उपलब्ध ऐतिहासिक साहित्य में मुख्यतः 1932 के कम्यूनल अवॉर्ड, गांधी के विरोध, अम्बेडकर की राजनीतिक मांगों और उसके बाद बनी संयुक्त निर्वाचन तथा आरक्षित सीटों की व्यवस्था का अध्ययन किया गया है। इस साहित्य का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि पूना पैक्ट को केवल गांधी-अम्बेडकर विवाद के परिणाम के रूप में नहीं, बल्कि औपनिवेशिक भारत में अल्पसंख्यक एवं वंचित समुदायों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व की समस्या के रूप में भी देखा गया है। Eleanor Zelliot के दलित आंदोलन संबंधी अध्ययनों ने अम्बेडकर के राजनीतिक आंदोलन और दलितों की स्वतंत्र राजनीतिक पहचान के विकास को समझने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसी प्रकार Christophe Jaffrelot ने आधुनिक भारत में दलित राजनीति के ऐतिहासिक विकास का अध्ययन करते हुए अम्बेडकर के राजनीतिक हस्तक्षेप, प्रतिनिधित्व और सामाजिक परिवर्तन के प्रश्नों को व्यापक राजनीतिक संदर्भ में रखा है। इन अध्ययनों से यह समझने में सहायता मिलती है कि पृथक निर्वाचक मंडल की मांग केवल निर्वाचन पद्धति का प्रश्न नहीं थी, बल्कि दलित राजनीतिक पहचान और सत्ता में भागीदारी से भी संबंधित थी। Sujay Biswas के 2018 के शोध में गांधी, अम्बेडकर और कम्यूनल अवॉर्ड के संदर्भ में पूना पैक्ट की राजनीतिक पृष्ठभूमि तथा उसके प्रतिनिधित्व संबंधी परिणामों का विश्लेषण किया गया है। यह अध्ययन इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि इसमें पूना पैक्ट के बाद बनी राजनीतिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को ऐतिहासिक निर्वाचन परिणामों के संदर्भ में समझने का प्रयास किया गया है। इससे यह प्रश्न सामने आता है कि आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ने के बावजूद क्या दलित प्रतिनिधियों को वास्तविक राजनीतिक स्वायत्तता प्राप्त हुई।

4. गांधी-अम्बेडकर संबंधों पर तुलनात्मक साहित्य - गांधी और अम्बेडकर के संबंधों पर उपलब्ध साहित्य में दोनों नेताओं के बीच सहयोग, मतभेद और वैचारिक दूरी का विभिन्न दृष्टियों से अध्ययन किया गया है। Dhananjay Keer की *Dr. Ambedkar: Life and Mission* तथा बाद के अध्ययनों में गांधी-अम्बेडकर संबंधों को दलित प्रश्न, अस्पृश्यता, जाति और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के संदर्भ में समझाया गया है। इन अध्ययनों से स्पष्ट होता है कि दोनों नेताओं का लक्ष्य सामाजिक रूप से वंचित समुदायों की स्थिति में सुधार से जुड़ा था, किंतु उसके लिए अपनाए जाने वाले राजनीतिक साधनों और प्रतिनिधित्व की संस्थागत व्यवस्था को लेकर उनके विचार अलग थे।

ऐतिहासिक साहित्य में गांधी का जोर सामाजिक सुधार, अस्पृश्यता-निवारण और राष्ट्रीय राजनीतिक एकता पर तथा अम्बेडकर का जोर राजनीतिक अधिकार, प्रतिनिधित्व और संस्थागत सुरक्षा पर दिखाई देता है। इसलिए गांधी-अम्बेडकर संबंधों का अध्ययन केवल व्यक्तिगत मतभेदों के रूप में करना पर्याप्त नहीं है। इसे सामाजिक सुधार और राजनीतिक सशक्तीकरण की दो अलग-अलग राजनीतिक रणनीतियों के संदर्भ में देखना अधिक उपयोगी है।

5. प्रतिनिधित्व, सामाजिक न्याय और राजनीतिक स्वायत्तता से संबंधित साहित्य - उपलब्ध साहित्य का एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह है कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व को केवल निर्वाचित सदस्यों की संख्या से नहीं समझा जा सकता। किसी समुदाय के प्रतिनिधि की स्वतंत्रता, उसके समुदाय के प्रति उत्तरदायित्व और निर्णय-

निर्माण में उसकी प्रभावशीलता भी प्रतिनिधित्व की गुणवत्ता निर्धारित करती है। अम्बेडकर के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व का संबंध सामाजिक न्याय से था, क्योंकि सामाजिक रूप से वंचित समुदायों के पास यदि राजनीतिक शक्ति नहीं होगी तो विधायिकाओं में उनकी समस्याओं को प्रभावी ढंग से उठाना कठिन होगा। इसके विपरीत गांधी का दृष्टिकोण राजनीतिक प्रतिनिधित्व को सामाजिक एकता और व्यापक राष्ट्रीय हित के साथ जोड़ता था। इस वैचारिक अंतर के कारण पूना पैक्ट का अध्ययन सामाजिक न्याय, राजनीतिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय एकता-तीनों के बीच संबंध को समझने का महत्वपूर्ण माध्यम बन जाता है।

6. 2019 तक के साहित्य से उभरता शोध-अंतर - 2019 तक उपलब्ध साहित्य के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि पूना पैक्ट पर पर्याप्त ऐतिहासिक एवं राजनीतिक सामग्री उपलब्ध है, लेकिन इन अध्ययनों में मुख्यतः तीन प्रवृत्तियाँ दिखाई देती हैं। पहली प्रवृत्ति पूना पैक्ट को गांधी-अम्बेडकर विवाद तथा कम्यूनल अवॉर्ड की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में देखती है। दूसरी प्रवृत्ति इसे दलित राजनीतिक आंदोलन और अम्बेडकर के स्वतंत्र राजनीतिक प्रतिनिधित्व के संघर्ष से जोड़ती है। तीसरी प्रवृत्ति निर्वाचन व्यवस्था, आरक्षित सीटों और दलित राजनीतिक भागीदारी के परिणामों पर ध्यान देती है।

इसके बावजूद एक ऐसा तुलनात्मक अध्ययन अपेक्षाकृत कम दिखाई देता है जिसमें गांधी और अम्बेडकर के राजनीतिक प्रतिनिधित्व संबंधी मूल दृष्टिकोणों को एक ही विश्लेषणात्मक ढाँचे में रखकर पृथक निर्वाचक मंडल और पूना पैक्ट की तुलना की जाए तथा उसे सामाजिक न्याय, राजनीतिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय एकता के परस्पर संबंध से जोड़ा जाए। प्रस्तुत शोध इसी अंतर को संबोधित करने का प्रयास करता है।

उपलब्ध अध्ययनों में प्रायः पूना पैक्ट को ऐतिहासिक घटना या गांधी-अम्बेडकर विवाद के रूप में देखा गया है; प्रस्तुत अध्ययन इसे राजनीतिक प्रतिनिधित्व, सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय एकता के परस्पर संबंध के रूप में तुलनात्मक रूप से विश्लेषित करेगा। पूना पैक्ट पर समकालीन शोध भी इस बात को रेखांकित करता है कि संयुक्त और पृथक निर्वाचक मंडल के प्रश्न के साथ वास्तविक प्रतिनिधित्व का प्रश्न जुड़ा हुआ था।

शोध के उद्देश्य

1. पूना पैक्ट और पृथक निर्वाचक मंडल की ऐतिहासिक एवं राजनीतिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करना।
2. गांधी के राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सामाजिक एकता संबंधी दृष्टिकोण का विश्लेषण करना।
3. डॉ. बी. आर. अम्बेडकर के पृथक निर्वाचक मंडल एवं दलित राजनीतिक प्रतिनिधित्व संबंधी विचारों का अध्ययन करना।
4. गांधी और अम्बेडकर के राजनीतिक दृष्टिकोण का तुलनात्मक विश्लेषण करना।
5. पूना पैक्ट के राजनीतिक परिणाम एवं भारतीय लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व पर उसके प्रभाव का परीक्षण करना।

शोध प्रश्न

1. पृथक निर्वाचक मंडल की मांग के प्रमुख राजनीतिक आधार क्या थे?
2. पृथक निर्वाचक मंडल के संबंध में गांधी और अम्बेडकर के दृष्टिकोण में क्या अंतर था?
3. पूना पैक्ट ने दलित राजनीतिक प्रतिनिधित्व के स्वरूप को किस प्रकार प्रभावित किया?

4. गांधी और अम्बेडकर के दृष्टिकोण में सामाजिक न्याय तथा राष्ट्रीय एकता का संबंध किस प्रकार स्थापित होता है?

प्राक्कल्पना

पृथक निर्वाचक मंडल के प्रश्न पर गांधी और डॉ. बी. आर. अम्बेडकर के मतभेद उनके सामाजिक न्याय, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और राष्ट्रीय एकता संबंधी अलग-अलग राजनीतिक दृष्टिकोणों से उत्पन्न हुए थे; पूना पैक्ट ने पृथक निर्वाचक मंडल के स्थान पर संयुक्त निर्वाचन के साथ आरक्षित प्रतिनिधित्व का समझौता प्रस्तुत किया।

शोध पद्धति

प्रस्तुत अध्ययन **वर्णनात्मक-विश्लेषणात्मक एवं ऐतिहासिक (Descriptive-Analytical and Historical)** पद्धति पर आधारित रहा। अध्ययन में गांधी और डॉ. बी. आर. अम्बेडकर के मूल लेखन, पूना पैक्ट, कम्यूनल अवॉर्ड, गोलमेज सम्मेलनों के दस्तावेज तथा संविधान सभा संबंधी अभिलेखों को प्राथमिक स्रोत के रूप में लिया गया। पुस्तकों, शोध-पत्रों एवं प्रकाशित ऐतिहासिक अध्ययनों का द्वितीयक स्रोतों के रूप में उपयोग किया गया। संकलित सामग्री का **तुलनात्मक एवं विषय-वस्तु विश्लेषण (Comparative and Content Analysis)** किया गया। विशेष रूप से पृथक निर्वाचक मंडल, संयुक्त निर्वाचन, आरक्षित प्रतिनिधित्व, सामाजिक न्याय, राजनीतिक स्वायत्तता तथा राष्ट्रीय एकता से संबंधित गांधी और अम्बेडकर के विचारों का तुलनात्मक विश्लेषण किया गया। अध्ययन में उपलब्ध ऐतिहासिक तथ्यों एवं प्रमाणित स्रोतों के आधार पर निष्कर्ष प्राप्त किए गए।

पूना पैक्ट एवं पृथक निर्वाचक मंडल की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

1. औपनिवेशिक भारत में राजनीतिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था - औपनिवेशिक भारत में राजनीतिक प्रतिनिधित्व का विकास क्रमिक रूप से हुआ। 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम (Morley-Minto Reforms) द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था स्थापित की गई। इसके बाद प्रतिनिधित्व का प्रश्न केवल सामान्य निर्वाचन का विषय न रहकर विभिन्न धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक समुदायों की संस्थागत भागीदारी से जुड़ गया। 1919 के भारत सरकार अधिनियम ने इस व्यवस्था का और विस्तार किया। इसी राजनीतिक पृष्ठभूमि में दलित अथवा तत्कालीन शब्दावली में **Depressed Classes** के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व का प्रश्न उभरकर सामने आया।

2. दलित/Depressed Classes के राजनीतिक प्रतिनिधित्व का प्रश्न - राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग दलितों की सामाजिक स्थिति से गहराई से जुड़ी थी। 1931 की आधिकारिक जनगणना सामग्री में Depressed Classes के संबंध में सार्वजनिक कुओं, विद्यालयों, धार्मिक संस्थाओं तथा अन्य सार्वजनिक सुविधाओं के उपयोग पर विभिन्न क्षेत्रों में मौजूद सामाजिक प्रतिबंधों का उल्लेख मिलता है। इससे स्पष्ट होता है कि उस समय सामाजिक बहिष्कार केवल निजी सामाजिक संबंधों तक सीमित नहीं था, बल्कि सार्वजनिक जीवन में भागीदारी को भी प्रभावित करता था। इसी सामाजिक परिस्थिति में डॉ. अम्बेडकर ने राजनीतिक प्रतिनिधित्व को दलितों के अधिकारों की रक्षा का महत्वपूर्ण साधन माना। उनका तर्क था कि जिस समुदाय की सामाजिक स्थिति कमजोर है, उसके प्रतिनिधि यदि प्रभावशाली बहुसंख्यक समूह के राजनीतिक नियंत्रण पर

निर्भर होंगे, तो उसकी स्वतंत्र राजनीतिक आवाज कमजोर हो सकती है। इसीलिए उन्होंने पृथक निर्वाचक मंडल तथा अन्य राजनीतिक सुरक्षा उपायों की मांग की।

3. प्रथम एवं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन - भारत के संवैधानिक भविष्य पर विचार के लिए लंदन में गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया गया। डॉ. अम्बेडकर ने इन सम्मेलनों में Depressed Classes के राजनीतिक प्रतिनिधि के रूप में अपनी मांगों को प्रस्तुत किया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 12 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक लंदन में आयोजित हुआ, जिसमें लगभग 100 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और गांधी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित हुए। सम्मेलन में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व और पृथक निर्वाचक मंडल का प्रश्न प्रमुख विवादों में रहा तथा इस पर सहमति नहीं बन सकी।

गांधी और अम्बेडकर के बीच इसी अवधि में दलित राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर स्पष्ट मतभेद सामने आए। गांधी दलितों को हिंदू समाज का अभिन्न अंग मानते हुए पृथक राजनीतिक निर्वाचन को सामाजिक एकता के लिए समस्या के रूप में देखते थे, जबकि अम्बेडकर दलितों को स्वतंत्र राजनीतिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता वाले सामाजिक रूप से वंचित समुदाय के रूप में देखते थे।

4. डॉ. अम्बेडकर की पृथक निर्वाचक मंडल की मांग - डॉ. अम्बेडकर की मांग का मूल आधार राजनीतिक सुरक्षा और स्वतंत्र प्रतिनिधित्व था। उनका मानना था कि सामान्य निर्वाचन व्यवस्था में सामाजिक रूप से प्रभावशाली जातियों का राजनीतिक प्रभाव दलित उम्मीदवारों और मतदाताओं की स्वतंत्रता को सीमित कर सकता है। इसलिए उन्होंने Depressed Classes के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की। अम्बेडकर के लेखन से स्पष्ट होता है कि उनके लिए राजनीतिक शक्ति सामाजिक मुक्ति की प्रक्रिया का आवश्यक साधन थी। वे केवल विधानसभाओं में कुछ सीटें प्राप्त करने के पक्ष में नहीं थे, बल्कि ऐसी निर्वाचन व्यवस्था चाहते थे जिसमें दलित समुदाय अपने प्रतिनिधियों के चयन में वास्तविक भूमिका निभा सके।

5. 1932 का कम्यूनल अवॉर्ड - 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैम्से मैकडोनाल्ड द्वारा घोषित कम्यूनल अवॉर्ड ने विभिन्न समुदायों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्धारित की। इसमें Depressed Classes के लिए भी पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया। इससे दलित प्रतिनिधित्व का प्रश्न संवैधानिक और निर्वाचन व्यवस्था का औपचारिक हिस्सा बन गया। कम्यूनल अवॉर्ड पर गांधी और अम्बेडकर की प्रतिक्रियाएँ भिन्न थीं। अम्बेडकर के लिए यह दलितों को स्वतंत्र राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रावधान था, जबकि गांधी ने Depressed Classes के लिए पृथक निर्वाचन का विरोध किया। इस मतभेद ने आगे चलकर पूना पैक्ट की पृष्ठभूमि तैयार की।

6. गांधी का विरोध और यरवदा जेल में उपवास - कम्यूनल अवॉर्ड में Depressed Classes के लिए पृथक निर्वाचक मंडल के प्रावधान के विरोध में गांधी ने यरवदा जेल में 20 सितंबर 1932 से आमरण उपवास प्रारंभ किया। उनका तर्क था कि पृथक निर्वाचन हिंदू समाज के भीतर स्थायी राजनीतिक विभाजन को बढ़ा सकता है। दूसरी ओर, अम्बेडकर के सामने यह प्रश्न था कि गांधी के विरोध के बीच दलितों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सुरक्षा को किस प्रकार सुनिश्चित किया जाए। सरकारी अभिलेखीय सामग्री के अनुसार गांधी के उपवास और उसके बाद हुई वार्ताओं ने पूना समझौते की दिशा में निर्णायक परिस्थिति उत्पन्न की।

7. 24 सितंबर 1932 का पूना पैक्ट - 24 सितंबर 1932 को गांधी और डॉ. अम्बेडकर सहित दलित एवं हिंदू नेताओं के बीच समझौता हुआ, जिसे **पूना पैक्ट (Poona Pact)** कहा गया। समझौते ने कम्यूनल अवॉर्ड में Depressed Classes के लिए प्रस्तावित पृथक निर्वाचक मंडल को समाप्त करके संयुक्त निर्वाचन के साथ आरक्षित सीटों की व्यवस्था स्वीकार की। पूना पैक्ट के अंतर्गत प्रांतीय विधानसभाओं में Depressed Classes के लिए कुल **148 सीटें आरक्षित** की गईं। इन सीटों पर संयुक्त निर्वाचन होना था, लेकिन प्रत्येक आरक्षित सीट के लिए Depressed Classes के मतदाता पहले प्राथमिक चुनाव के माध्यम से चार उम्मीदवारों का पैनल चुनते थे; अंतिम चुनाव सामान्य निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता था। केंद्रीय विधानमंडल में ब्रिटिश भारत की सामान्य निर्वाचन सीटों में **18 प्रतिशत सीटें** Depressed Classes के लिए आरक्षित की गईं।

8. पृथक निर्वाचक मंडल के स्थान पर संयुक्त निर्वाचन और आरक्षित सीटें - इस प्रकार पूना पैक्ट ने दलित राजनीतिक प्रतिनिधित्व की संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया। पृथक निर्वाचक मंडल में केवल संबंधित समुदाय के मतदाता अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते, जबकि पूना पैक्ट की व्यवस्था में संयुक्त निर्वाचन के साथ आरक्षित सीटें रखी गईं। साथ ही प्राथमिक चुनाव की व्यवस्था ने Depressed Classes के मतदाताओं को उम्मीदवारों के चयन में प्रारंभिक भूमिका प्रदान की।

इस परिवर्तन का राजनीतिक महत्व यह था कि दलित प्रतिनिधित्व को एक ओर विधायी आरक्षण के माध्यम से सुनिश्चित किया गया और दूसरी ओर निर्वाचन को व्यापक संयुक्त राजनीतिक समुदाय के भीतर रखा गया। यही व्यवस्था गांधी और अम्बेडकर के राजनीतिक दृष्टिकोणों के बीच समझौते का प्रमुख संस्थागत परिणाम बनी।

गांधी का राजनीतिक दृष्टिकोण

1. दलितों की सामाजिक स्थिति और अस्पृश्यता के प्रति गांधी का दृष्टिकोण - गांधी ने अस्पृश्यता को भारतीय समाज की गंभीर सामाजिक बुराई माना और इसके उन्मूलन को अपने सामाजिक कार्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया। उनका दृष्टिकोण मुख्यतः सामाजिक सुधार, नैतिक परिवर्तन और हिंदू समाज के भीतर समानता स्थापित करने पर आधारित था। 1931 की जनगणना में Depressed Classes के संबंध में सार्वजनिक सुविधाओं और सामाजिक संस्थाओं तक असमान पहुंच का उल्लेख मिलता है, जो उस समय की सामाजिक वास्तविकता को दर्शाता है। गांधी का मानना था कि अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए केवल राजनीतिक अधिकार पर्याप्त नहीं हैं; सामाजिक व्यवहार और सामाजिक चेतना में परिवर्तन भी आवश्यक है। इसलिए उन्होंने दलित प्रश्न को व्यापक सामाजिक सुधार तथा राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा।

2. पृथक निर्वाचक मंडल का विरोध - गांधी ने Depressed Classes के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का विरोध किया। उनका प्रमुख तर्क यह था कि इससे हिंदू समाज के भीतर राजनीतिक विभाजन स्थायी रूप ले सकता है। वे दलितों के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व के विरुद्ध नहीं थे, बल्कि प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के साधन के रूप में पृथक निर्वाचन का विरोध करते थे। उनका दृष्टिकोण पूना पैक्ट में स्पष्ट दिखाई देता है, जहाँ पृथक निर्वाचन के स्थान पर संयुक्त निर्वाचन तथा आरक्षित सीटों की व्यवस्था स्वीकार की गई। इस व्यवस्था में दलितों के लिए विधायी प्रतिनिधित्व सुरक्षित रहा, लेकिन निर्वाचन व्यापक संयुक्त मतदाता-समुदाय के भीतर हुआ।

3. हिंदू समाज की एकता और राष्ट्रीय एकता - गांधी के राजनीतिक चिंतन में राष्ट्रीय एकता का विशेष महत्व था। वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को व्यापक जनसमुदाय को एक राजनीतिक समुदाय में संगठित करने की प्रक्रिया के रूप में देखते थे। इसी कारण वे ऐसे राजनीतिक प्रबंधों के प्रति सावधान थे जो समाज के किसी हिस्से को स्थायी रूप से अलग राजनीतिक निर्वाचन इकाई में बदल सकते थे। पृथक निर्वाचक मंडल के प्रश्न पर उनका विरोध इसी राजनीतिक चिंतन से जुड़ा था। उनके लिए दलितों की सामाजिक स्थिति में सुधार और राष्ट्रीय आंदोलन की एकता परस्पर विरोधी नहीं, बल्कि एक-दूसरे से संबंधित उद्देश्य थे।

4. नैतिक-सामाजिक सुधार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व का संबंध - गांधी के दृष्टिकोण में राजनीतिक प्रतिनिधित्व को सामाजिक सुधार से अलग करके नहीं देखा जा सकता। उनका मानना था कि दलितों की वास्तविक मुक्ति के लिए सामाजिक भेदभाव और अस्पृश्यता का अंत आवश्यक है। इसलिए केवल विधायी सीटों की संख्या बढ़ाना उनके लिए पर्याप्त समाधान नहीं था। पूना पैक्ट के संदर्भ में यह दृष्टिकोण संयुक्त निर्वाचन और आरक्षित सीटों के संयोजन में दिखाई देता है। इससे दलितों के लिए प्रतिनिधित्व की संवैधानिक सुरक्षा बनी रही, जबकि निर्वाचन को व्यापक राजनीतिक समुदाय के भीतर रखा गया। इस व्यवस्था ने सामाजिक एकता और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के बीच एक संस्थागत संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया।

5. पूना पैक्ट के संदर्भ में गांधी की राजनीतिक रणनीति - गांधी का उपवास पूना पैक्ट की वार्ताओं की तत्काल राजनीतिक पृष्ठभूमि बना। 20 सितंबर 1932 से यरवदा जेल में उनके उपवास के बाद गांधी और अम्बेडकर सहित संबंधित नेताओं के बीच बातचीत हुई और 24 सितंबर को समझौता हुआ। इस प्रकार गांधी की रणनीति को तीन प्रमुख तत्वों में समझा जा सकता है—अस्पृश्यता के विरुद्ध सामाजिक सुधार, हिंदू समाज की एकता और राष्ट्रीय राजनीतिक एकता। हालांकि पूना पैक्ट ने पृथक निर्वाचक मंडल को समाप्त किया, लेकिन उसने दलितों के लिए आरक्षित प्रतिनिधित्व को बनाए रखा और प्रांतीय विधानसभाओं में 148 सीटों का प्रावधान किया।

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर का राजनीतिक दृष्टिकोण

1. दलितों की स्वतंत्र राजनीतिक पहचान और प्रतिनिधित्व - डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने दलितों की सामाजिक स्थिति को राजनीतिक प्रतिनिधित्व के प्रश्न से जोड़कर देखा। उनके अनुसार सामाजिक रूप से वंचित समुदाय यदि राजनीतिक संस्थाओं में स्वतंत्र आवाज प्राप्त नहीं करता, तो कानून और शासन की प्रक्रिया में उसके हितों की पर्याप्त रक्षा कठिन हो सकती है। अम्बेडकर का राजनीतिक संघर्ष केवल सामाजिक भेदभाव के विरोध तक सीमित नहीं था। 1923 में स्थापित बहिष्कृत हितकारिणी सभा, 1927 का महाड़ आंदोलन और 1930 का कालाराम मंदिर आंदोलन उनके व्यापक सामाजिक-राजनीतिक संघर्ष के महत्वपूर्ण चरण थे। भारत सरकार से संबंधित उनके अभिलेखों में इन आंदोलनों को शिक्षा, सार्वजनिक संसाधनों तक पहुंच और सामाजिक अधिकारों से जोड़ा गया है।

2. पृथक निर्वाचक मंडल की आवश्यकता - अम्बेडकर पृथक निर्वाचक मंडल को दलितों के स्वतंत्र राजनीतिक प्रतिनिधित्व की सुरक्षा के रूप में देखते थे। उनका तर्क था कि सामाजिक रूप से प्रभावशाली बहुसंख्यक समूहों के बीच सामान्य निर्वाचन में दलित उम्मीदवारों की राजनीतिक स्वतंत्रता सीमित हो सकती है।

इसलिए दलित मतदाताओं को अपने प्रतिनिधियों के चयन में निर्णायक भूमिका मिलना आवश्यक था। उनके लेखन में यह विचार स्पष्ट रूप से मिलता है कि Depressed Classes को राजनीतिक शक्ति का पर्याप्त हिस्सा मिलना चाहिए, क्योंकि सामाजिक रूप से कमजोर समुदाय केवल सामाजिक सद्भाव की अपील के आधार पर अपने अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकता।

3. राजनीतिक शक्ति को सामाजिक मुक्ति का साधन - अम्बेडकर के राजनीतिक चिंतन में राजनीतिक शक्ति सामाजिक परिवर्तन का महत्वपूर्ण साधन थी। उनका मानना था कि सामाजिक असमानता से प्रभावित समुदाय को कानून-निर्माण और शासन की प्रक्रिया में प्रभावी भागीदारी मिले बिना सामाजिक न्याय को स्थायी रूप से सुनिश्चित करना कठिन है। इस दृष्टिकोण में प्रतिनिधित्व का अर्थ केवल विधानसभाओं में संख्या प्राप्त करना नहीं था। प्रतिनिधित्व का उद्देश्य ऐसी राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना था जिसके माध्यम से दलित समुदाय शिक्षा, रोजगार, सामाजिक अधिकारों और समान नागरिकता से संबंधित अपने हितों की रक्षा कर सके।

4. संयुक्त निर्वाचन में बहुसंख्यक प्रभाव की समस्या - अम्बेडकर की प्रमुख चिंता यह थी कि संयुक्त निर्वाचन में दलित उम्मीदवारों के चुनाव पर सामाजिक रूप से प्रभावशाली समूहों का प्रभाव पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में प्रतिनिधि औपचारिक रूप से दलित समुदाय से संबंधित होते हुए भी राजनीतिक रूप से बहुसंख्यक मतदाताओं पर निर्भर रह सकते थे। इसीलिए अम्बेडकर के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का प्रश्न केवल चुनाव की पद्धति नहीं, बल्कि प्रतिनिधि की राजनीतिक स्वतंत्रता का प्रश्न था। बाद में पूना पैक्ट में संयुक्त निर्वाचन स्वीकार किए जाने के बावजूद प्राथमिक चुनाव की व्यवस्था के माध्यम से Depressed Classes के मतदाताओं को उम्मीदवारों के चयन में विशेष भूमिका दी गई।

5. पूना पैक्ट के प्रति अम्बेडकर का दृष्टिकोण - पूना पैक्ट को अम्बेडकर के दृष्टिकोण से समझते समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि समझौते ने पृथक निर्वाचक मंडल की उनकी मूल मांग को समाप्त कर दिया, लेकिन इसके बदले आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ाई गई। कम्यूनल अवॉर्ड में प्रस्तावित 71 सीटों की तुलना में पूना पैक्ट के अंतर्गत प्रांतीय विधानसभाओं में **148 सीटें** आरक्षित हुईं। साथ ही प्राथमिक चुनाव की व्यवस्था में Depressed Classes के मतदाताओं को चार उम्मीदवारों का पैनल चुनने का अधिकार दिया गया। इसलिए अम्बेडकर के लिए पूना पैक्ट को केवल स्वीकार या अस्वीकार की सरल श्रेणी में रखना उचित नहीं है। यह एक राजनीतिक समझौता था, जिसमें पृथक निर्वाचन की मांग समाप्त हुई, लेकिन प्रतिनिधित्व की संस्थागत सुरक्षा के लिए आरक्षित सीटों और प्राथमिक निर्वाचन की व्यवस्था प्राप्त हुई।

6. सीटों की संख्या से आगे वास्तविक प्रतिनिधित्व का प्रश्न - अम्बेडकर के राजनीतिक दृष्टिकोण का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह था कि प्रतिनिधित्व को केवल सीटों की संख्या से नहीं मापा जा सकता। वास्तविक प्रश्न यह था कि निर्वाचित प्रतिनिधि अपने समुदाय के हितों को स्वतंत्र रूप से किस सीमा तक व्यक्त कर सकता है और विधायी संस्थाओं में उसकी राजनीतिक प्रभावशीलता कितनी है। पूना पैक्ट में प्राथमिक निर्वाचन की व्यवस्था इसी समस्या का आंशिक संस्थागत उत्तर थी—Depressed Classes के मतदाता पहले चार उम्मीदवारों का चयन करते और अंतिम चुनाव संयुक्त निर्वाचन द्वारा होता था। इस प्रकार समझौते ने दलित समुदाय की उम्मीदवार-चयन प्रक्रिया में भूमिका को बनाए रखने का प्रयास किया, जबकि अंतिम निर्वाचन संयुक्त मतदाता-समुदाय के माध्यम से किया गया।

अतः अम्बेडकर के राजनीतिक दृष्टिकोण का केंद्रीय प्रश्न “कितनी सीटें?” से अधिक “किस प्रकार का वास्तविक और स्वतंत्र प्रतिनिधित्व?” था। यही प्रश्न पृथक निर्वाचक मंडल और पूना पैक्ट के तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण का आधार बनता है।

सारणी - 1: गांधी एवं अम्बेडकर : तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण

क्र.सं.	आधार	गांधी	डॉ. अम्बेडकर
1.	राजनीतिक प्रतिनिधित्व	संयुक्त राजनीतिक ढाँचे पर बल	स्वतंत्र एवं प्रभावी दलित प्रतिनिधित्व पर बल
2.	पृथक निर्वाचक मंडल	विरोध	समर्थन
3.	सामाजिक प्रश्न	नैतिक एवं सामाजिक सुधार	संरचनात्मक सामाजिक एवं राजनीतिक परिवर्तन
4.	राष्ट्रीय एकता	प्राथमिक राजनीतिक चिंता	सामाजिक समानता को लोकतंत्र की आधारशिला
5.	राजनीतिक साधन	नैतिक दबाव, सामाजिक सुधार	राजनीतिक अधिकार एवं संस्थागत संरक्षण
6.	प्रमुख लक्ष्य	सामाजिक एकता एवं राष्ट्रीय आंदोलन	सामाजिक न्याय एवं राजनीतिक सशक्तीकरण

यह तुलना मूल्यांकनात्मक रैंकिंग के बजाय दोनों नेताओं के दस्तावेजित राजनीतिक दृष्टिकोणों के अंतर को स्पष्ट करेगी।

पूना पैक्ट का राजनीतिक विश्लेषण

पूना पैक्ट ने दलित राजनीतिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया। कम्यूनल अवॉर्ड द्वारा प्रस्तावित पृथक निर्वाचक मंडल के स्थान पर **संयुक्त निर्वाचन तथा आरक्षित सीटों** की व्यवस्था स्वीकार की गई। इसका उद्देश्य दलितों को विधायिकाओं में प्रतिनिधित्व प्रदान करना था, लेकिन उन्हें व्यापक निर्वाचन समुदाय से अलग राजनीतिक निर्वाचन इकाई के रूप में नहीं रखना था। पूना पैक्ट के अंतर्गत प्रांतीय विधानसभाओं में Depressed Classes के लिए कुल **148 सीटें आरक्षित** की गईं। इसके अतिरिक्त केंद्रीय विधानमंडल में ब्रिटिश भारत के सामान्य निर्वाचन के लिए निर्धारित सीटों में **18 प्रतिशत सीटें** Depressed Classes के लिए आरक्षित की गईं। इस प्रकार समझौते ने प्रतिनिधित्व की संख्या को संस्थागत रूप से सुरक्षित किया। पूना पैक्ट की एक महत्वपूर्ण विशेषता **प्राथमिक निर्वाचन (Primary Election)** थी। आरक्षित सीट के लिए Depressed Classes के मतदाता पहले अपने समुदाय के चार उम्मीदवारों का पैनल चुनते थे और उसके बाद संयुक्त निर्वाचन में अंतिम चुनाव होता था। इस व्यवस्था से दलित मतदाताओं को उम्मीदवारों के प्रारंभिक चयन में विशेष भूमिका प्राप्त हुई।

इसलिए पूना पैक्ट का विश्लेषण केवल सीटों की संख्या के आधार पर नहीं किया जा सकता। प्रतिनिधित्व की **प्रकृति** भी महत्वपूर्ण थी। पृथक निर्वाचन में अंतिम निर्णय केवल संबंधित समुदाय के मतदाताओं के हाथ में रहता, जबकि पूना पैक्ट में दलित मतदाताओं की प्राथमिक भूमिका के बाद अंतिम निर्वाचन संयुक्त मतदाताओं

द्वारा किया जाता था। दलित राजनीतिक स्वायत्तता के संदर्भ में यही व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण विवाद का विषय बनी। आलोचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार संयुक्त निर्वाचन में संख्या की दृष्टि से प्रभावशाली सामाजिक समूह दलित उम्मीदवारों के चुनाव को प्रभावित कर सकते थे। इसके विपरीत नवीन ऐतिहासिक शोध में 1936-37 और 1945-46 के चुनावों का विश्लेषण करते हुए यह भी पाया गया है कि आरक्षित सीटों और प्राथमिक निर्वाचन ने दलित प्रतिनिधित्व की संभावनाएँ पूरी तरह समाप्त नहीं कीं।

इस प्रकार पूना पैक्ट में **राष्ट्रीय राजनीतिक एकता और सामाजिक न्याय** के बीच एक संस्थागत संतुलन स्थापित करने का प्रयास दिखाई देता है। गांधी के लिए संयुक्त निर्वाचन राष्ट्रीय एवं सामाजिक एकता से जुड़ा था, जबकि अम्बेडकर की मूल चिंता दलितों के स्वतंत्र राजनीतिक प्रतिनिधित्व की थी। समझौते ने इन दोनों चिंताओं के बीच आरक्षित सीटों और प्राथमिक निर्वाचन के माध्यम से एक मध्यवर्ती व्यवस्था निर्मित की। पूना पैक्ट का दीर्घकालीन राजनीतिक महत्व इस तथ्य में भी दिखाई देता है कि स्वतंत्र भारत में अनुसूचित जातियों के लिए विधायी आरक्षण की व्यवस्था इसी व्यापक ऐतिहासिक विकास की पृष्ठभूमि में समझी जा सकती है। आधुनिक शोध ने भी पूना पैक्ट को केवल गांधी-अम्बेडकर समझौते के रूप में नहीं, बल्कि **वर्णनात्मक (descriptive) और सार्थक/वास्तविक (substantive) राजनीतिक प्रतिनिधित्व** के प्रश्न से जोड़कर पुनः विश्लेषित किया है।

समकालीन राजनीतिक संदर्भ में प्रासंगिकता

पूना पैक्ट की समकालीन प्रासंगिकता का प्रमुख आधार **राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सामाजिक न्याय** का संबंध है। लोकतंत्र में केवल मतदान का अधिकार पर्याप्त नहीं माना जाता; सामाजिक रूप से वंचित समूहों की विधायिकाओं और निर्णय-निर्माण संस्थाओं में प्रभावी भागीदारी भी महत्वपूर्ण है। पूना पैक्ट इसी ऐतिहासिक प्रश्न की प्रारंभिक संस्थागत अभिव्यक्तियों में से एक था। भारत में आरक्षण और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की वर्तमान व्यवस्था को समझने के लिए पूना पैक्ट की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि उपयोगी है। 1932 में 148 प्रांतीय सीटों तथा केंद्रीय विधानमंडल में 18 प्रतिशत प्रतिनिधित्व का प्रावधान यह दिखाता है कि वंचित समुदायों के लिए प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने हेतु विशेष संस्थागत उपायों की आवश्यकता का प्रश्न स्वतंत्रता से पहले ही राजनीतिक विमर्श का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका था।

समकालीन लोकतंत्र में वंचित समूहों की राजनीतिक भागीदारी का प्रश्न केवल यह नहीं है कि उनके कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होते हैं, बल्कि यह भी है कि वे अपने समुदाय के हितों को किस सीमा तक स्वतंत्र और प्रभावी रूप से प्रस्तुत कर पाते हैं। आधुनिक शोध में इसी अंतर को **descriptive representation** और **substantive representation** के रूप में समझाया गया है। बहुसंख्यकवाद और अल्पप्रतिनिधित्व की समस्या भी इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है। संयुक्त निर्वाचन में सभी मतदाताओं की भागीदारी लोकतांत्रिक समावेशन को बढ़ाती है, लेकिन यदि किसी सामाजिक समूह की संख्या या राजनीतिक प्रभाव कम हो, तो उसके प्रतिनिधि के चयन और राजनीतिक प्राथमिकताओं पर बहुसंख्यक समूह का प्रभाव पड़ सकता है। यही वह प्रश्न है जिसे अम्बेडकर ने पूना पैक्ट के समय राजनीतिक स्वायत्तता के संदर्भ में उठाया था।

दूसरी ओर, संयुक्त निर्वाचन की व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि निर्वाचित प्रतिनिधि व्यापक मतदाता समुदाय के प्रति भी राजनीतिक उत्तरदायित्व रखता है। इस दृष्टि से पूना पैक्ट को सामाजिक समूहों की राजनीतिक सुरक्षा और व्यापक लोकतांत्रिक एकीकरण के बीच संतुलन स्थापित करने के प्रयास के रूप में समझा जा सकता है।

आधुनिक शोध में भी पूना पैक्ट की निर्वाचन व्यवस्था के परिणामों को लेकर एकरूप मत नहीं है; कुछ विद्वान राजनीतिक स्वायत्तता की सीमाओं पर बल देते हैं, जबकि अन्य चुनावी आँकड़ों के आधार पर आरक्षित सीटों और प्राथमिक चुनाव की प्रतिनिधित्वकारी भूमिका को रेखांकित करते हैं।

गांधी-अम्बेडकर विमर्श की समकालीन अकादमिक प्रासंगिकता इसी कारण बनी हुई है। गांधी का जोर सामाजिक सुधार, राष्ट्रीय एकता और संयुक्त राजनीतिक समुदाय पर था, जबकि अम्बेडकर का जोर राजनीतिक शक्ति, स्वतंत्र प्रतिनिधित्व और संस्थागत सुरक्षा पर था। इन दोनों दृष्टिकोणों का अध्ययन वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था में **समानता, प्रतिनिधित्व, सामाजिक न्याय और राजनीतिक भागीदारी** के संबंध को समझने में सहायता करता है।

अतः पूना पैक्ट को केवल 1932 की ऐतिहासिक घटना के रूप में देखना पर्याप्त नहीं है। इसका अध्ययन आज भी इस व्यापक प्रश्न के संदर्भ में किया जा सकता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सामाजिक रूप से वंचित समूहों को **संख्यात्मक प्रतिनिधित्व के साथ वास्तविक राजनीतिक प्रभाव** किस प्रकार उपलब्ध कराया जाए। यही प्रश्न पूना पैक्ट को भारतीय लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के इतिहास और समकालीन सामाजिक न्याय के विमर्श से जोड़ता है।

निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन के आधार पर यह स्पष्ट हुआ कि **पूना पैक्ट एवं पृथक निर्वाचक मंडल का प्रश्न केवल निर्वाचन व्यवस्था से संबंधित विषय नहीं था, बल्कि यह दलित राजनीतिक प्रतिनिधित्व, सामाजिक न्याय, राजनीतिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय एकता के परस्पर संबंधों से जुड़ा हुआ प्रश्न था।** औपनिवेशिक भारत में सामाजिक भेदभाव और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की सीमित संभावनाओं ने दलित समुदाय के लिए प्रभावी राजनीतिक सुरक्षा की आवश्यकता को जन्म दिया। इसी ऐतिहासिक परिस्थिति में पृथक निर्वाचक मंडल की मांग सामने आई। अध्ययन से स्पष्ट हुआ कि डॉ. बी. आर. अम्बेडकर के लिए **राजनीतिक प्रतिनिधित्व सामाजिक मुक्ति का महत्वपूर्ण साधन था।** उनका तर्क था कि यदि दलित प्रतिनिधियों के निर्वाचन में बहुसंख्यक सामाजिक समूह का निर्णायक प्रभाव रहेगा, तो निर्वाचित प्रतिनिधि दलित समुदाय के स्वतंत्र हितों को पर्याप्त रूप से व्यक्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने पृथक निर्वाचक मंडल को राजनीतिक सुरक्षा और स्वतंत्र प्रतिनिधित्व से जोड़ा। दूसरी ओर, **गांधी का दृष्टिकोण सामाजिक सुधार, अस्पृश्यता-निवारण और व्यापक सामाजिक-राष्ट्रीय एकता पर अधिक केंद्रित था।** वे दलितों के प्रतिनिधित्व के विरोधी नहीं थे, बल्कि पृथक निर्वाचक मंडल को हिंदू समाज तथा व्यापक राष्ट्रीय एकता के लिए विभाजनकारी मानते थे। इस प्रकार दोनों के बीच मूल मतभेद दलित प्रतिनिधित्व की आवश्यकता पर नहीं, बल्कि **प्रतिनिधित्व प्राप्त करने की उपयुक्त राजनीतिक पद्धति** पर था।

1932 के कम्यूनल अवॉर्ड में दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया था। गांधी ने इसके विरोध में 20 सितंबर 1932 से यरवदा जेल में आत्मरक्षण उपवास प्रारंभ किया। इसके बाद गांधी और अम्बेडकर सहित विभिन्न नेताओं के बीच हुए राजनीतिक संवाद और समझौते की पृष्ठभूमि में पूना पैक्ट सामने आया। समझौते के अंतर्गत पृथक निर्वाचक मंडल के स्थान पर **संयुक्त निर्वाचन के साथ आरक्षित सीटों** की व्यवस्था स्वीकार की गई। पूना पैक्ट में प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए कुल **148 आरक्षित सीटें** निर्धारित की गईं तथा केंद्रीय विधानमंडल में ब्रिटिश भारत के सामान्य निर्वाचन के लिए निर्धारित सीटों में से **18 प्रतिशत**

सीटें दलितों के लिए आरक्षित करने का प्रावधान किया गया। साथ ही प्रारंभिक निर्वाचन (Primary Election) के माध्यम से दलित मतदाताओं द्वारा चार उम्मीदवारों का पैनल चुनने की व्यवस्था की गई थी।

प्रस्तुत अध्ययन से यह भी स्पष्ट हुआ कि पूना पैक्ट को केवल पृथक निर्वाचक मंडल की समाप्ति के रूप में देखना पर्याप्त नहीं है। इसने एक ऐसी निर्वाचन व्यवस्था विकसित की जिसमें **दलितों के लिए सीटों का आरक्षण और संयुक्त निर्वाचन** दोनों को साथ रखा गया। इस व्यवस्था का उद्देश्य एक ओर दलितों की विधायी उपस्थिति सुनिश्चित करना और दूसरी ओर उन्हें व्यापक निर्वाचन प्रक्रिया से जोड़ना था। इस प्रकार पूना पैक्ट ने राजनीतिक प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर **सामुदायिक राजनीतिक स्वायत्तता और व्यापक राष्ट्रीय राजनीतिक भागीदारी के बीच एक समझौता** प्रस्तुत किया। हालाँकि, इस व्यवस्था की प्रभावशीलता को लेकर इतिहासलेखन में मतभेद रहे हैं। कुछ विद्वानों ने तर्क दिया है कि संयुक्त निर्वाचन में बहुसंख्यक मतदाताओं के प्रभाव के कारण दलित प्रतिनिधियों की स्वतंत्र राजनीतिक आवाज कमजोर हो सकती थी। इसके विपरीत, आधुनिक शोध में सुजय बिस्वास ने 1936-37 और 1945-46 के प्रांतीय चुनावों का विश्लेषण करते हुए निष्कर्ष दिया है कि आरक्षित सीटों, प्राथमिक निर्वाचन और संचयी मतदान जैसी व्यवस्थाओं ने दलितों के **वर्णनात्मक प्रतिनिधित्व (Descriptive Representation)** को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके अध्ययन के अनुसार 1936-37 के चुनावों में 151 आरक्षित सीटों में से 110 पर दलित उम्मीदवारों ने अंतिम चुनाव में दलित मतदाताओं के समर्थन से सफलता प्राप्त की।

प्रस्तुत अध्ययन से यह भी निष्कर्ष निकला कि **राजनीतिक प्रतिनिधित्व की संख्या और प्रतिनिधित्व की वास्तविक प्रभावशीलता दो अलग-अलग प्रश्न हैं।** किसी समुदाय के प्रतिनिधियों की विधायिका में उपस्थिति आवश्यक है, किंतु यह अपने-आप में यह सुनिश्चित नहीं करती कि वे अपने समुदाय के सामाजिक और राजनीतिक हितों को प्रभावी रूप से अभिव्यक्त भी कर पाएँगे। इसलिए पूना पैक्ट के मूल्यांकन में वर्णनात्मक प्रतिनिधित्व के साथ-साथ **सार्थक प्रतिनिधित्व (Substantive Representation)** को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। आधुनिक शोध ने भी इसी अंतर को रेखांकित किया है।

अध्ययन के आधार पर शोध की प्राक्कल्पना भी पर्याप्त रूप से पुष्ट होती है कि **गांधी और अम्बेडकर के बीच मतभेद सामाजिक न्याय और दलित प्रतिनिधित्व की आवश्यकता पर नहीं, बल्कि उसके राजनीतिक स्वरूप तथा राष्ट्रीय एकता के साथ उसके संबंध को लेकर थे।** गांधी सामाजिक सुधार और राष्ट्रीय एकता को प्राथमिक आधार मानते थे, जबकि अम्बेडकर राजनीतिक शक्ति, स्वतंत्र प्रतिनिधित्व और संस्थागत सुरक्षा को सामाजिक न्याय की आवश्यक शर्त के रूप में देखते थे। पूना पैक्ट ने इन दोनों दृष्टिकोणों के बीच एक व्यावहारिक राजनीतिक समझौता प्रस्तुत किया।

अंततः यह कहा जा सकता है कि पूना पैक्ट भारतीय लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के इतिहास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव रहा। इसने पृथक निर्वाचक मंडल के स्थान पर संयुक्त निर्वाचन और आरक्षित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को स्थापित किया तथा आगे चलकर वंचित समुदायों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बहस को प्रभावित किया। गांधी और अम्बेडकर के विचारों का तुलनात्मक अध्ययन यह दिखाता है कि **सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय एकता को परस्पर विरोधी मानने के बजाय ऐसी लोकतांत्रिक संस्थाओं का निर्माण आवश्यक है जिनमें दोनों उद्देश्यों के बीच संतुलन स्थापित किया जा सके।**

इस प्रकार, प्रस्तुत अध्ययन का प्रमुख निष्कर्ष यह है कि लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व की वास्तविक सफलता केवल इस बात पर निर्भर नहीं करती कि वंचित समुदाय के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित हुए, बल्कि इस पर भी निर्भर करती है कि वे कितनी राजनीतिक स्वतंत्रता, प्रभावशीलता और उत्तरदायित्व के साथ अपने समुदाय के हितों को व्यक्त कर सकते हैं। यही बिंदु पूना पैकट, गांधी और अम्बेडकर के राजनीतिक दृष्टिकोण को समकालीन लोकतांत्रिक विमर्श के लिए प्रासंगिक बनाता है।

सुझाव

1. प्रतिनिधित्व की संख्या के साथ उसकी प्रभावशीलता पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।
2. राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सामाजिक सशक्तीकरण को साथ-साथ देखा जाना चाहिए।
3. संयुक्त निर्वाचन व्यवस्था में राजनीतिक दलों की जवाबदेही को मजबूत किया जाना चाहिए।
4. दलित एवं अन्य वंचित समुदायों के राजनीतिक नेतृत्व के विकास के लिए संस्थागत अवसर बढ़ाए जाने चाहिए।
5. पूना पैकट का अध्ययन केवल गांधी-अम्बेडकर विवाद के रूप में नहीं किया जाना चाहिए।
6. भविष्य के शोध में प्रतिनिधित्व की गुणवत्ता का अनुभवजन्य अध्ययन किया जाना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. अम्बेडकर, बी. आर. (1945). *कांग्रेस और गांधी ने अस्पृश्यों के लिए क्या किया*, बंबई: थैकर एंड कंपनी, मूल कृति का प्रकाशन 1945 में हुआ था।
2. अम्बेडकर, बी. आर. (2014). डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर के लेखन और भाषण (खंड 8), महाराष्ट्र सरकार।
3. अम्बेडकर, बी. आर. (2014). डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर के लेखन और भाषण (खंड 10), महाराष्ट्र सरकार।
4. अम्बेडकर, बी. आर. (2014). डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर के लेखन और भाषण (खंड 1), महाराष्ट्र सरकार।
5. गांधी, एम. के. (1933). *हरिजन*, पूना: नवजीवन प्रकाशन। गांधी के अस्पृश्यता एवं सामाजिक सुधार संबंधी लेखन के लिए यह प्राथमिक स्रोत है।
6. बिस्वास, सुजय. (2024). पूना पैकट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और औपनिवेशिक भारत में दलितों का वर्णनात्मक एवं सार्थक प्रतिनिधित्व, *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एशियन स्टडीज*, 21(1), 1-29.
7. बिस्वास, सुजय. (2023). क्या निर्वाचन प्रणाली वास्तविक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कर सकती है? पूना पैकट और वरीय दलित प्रतिनिधि, *इंडियन हिस्टोरिकल रिव्यू*, 50(1)।
8. जेनसेनियस, फ्रांसेस्का आर. (2017). *सामाजिक न्याय के माध्यम से समावेशन: भारत में निर्वाचन कोटा के परिणाम*, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
9. रॉड्रिग्स, वैलेरियन. (2024). *अम्बेडकर का राजनीतिक दर्शन: सामाजिक हाशिए से सार्वजनिक जीवन का व्याकरण*, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
10. रॉड्रिग्स, वैलेरियन. (2024). राजनीतिक प्रतिनिधित्व, में *अम्बेडकर का राजनीतिक दर्शन: सामाजिक हाशिए से सार्वजनिक जीवन का व्याकरण*, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, पृ. 258।

11. कन्नाभिरन, कल्पना. (2025). राजनीतिक न्याय, अनुसूचित जातियों के लिए विधायी आरक्षण और सामाजिक परिवर्तन। में उपेन्द्र बक्सी एवं कल्पना कन्नाभिरन (सं.), *कानून और समाज* (खंड -3), ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, पृ. 273।
12. भारत सरकार. (1931). *भारत की जनगणना, 1931: सामाजिक एवं जातीय संबंधी सामग्री*, नई दिल्ली: भारत सरकार।
13. भारत सरकार. (1932). *कम्यूनल अवॉर्ड एवं अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व संबंधी दस्तावेज*, नई दिल्ली: भारत सरकार।
14. भारत सरकार. (1947). *संविधान सभा की बहसें*, नई दिल्ली: भारत सरकार।



EARN YOUR

MBA

WWW.IIMPS.IN



Accreditation & Ranking



UGC / NCTE Approved.

INFO@IIMPS.IN

☎ 011-41005174

RESEARCH
GATEWAY

STOP PLAGIARISM



Arogyam Ayurveda
Holistic Healing through herbs



AROGYAM
ONLINE

PARIVARTAN PSYCHOLOGY CENTER

परिवर्तन

COLOR PSYCHOLOGY : HOW COLOR AFFECT YOUR CHILD



BLUE

Calms your Child's
Mind & Body

YELLOW

Promotes Concentration,
Stimulates the Memory

PINK

Evokes Empathy,
makes your Child Calm

RED

Excites and energizes
your Child's body

GREEN

Improves Reading speed
and Comprehension

www.parivartan4u.com



परिवर्तन

Confuse about your children's future?

भारतीय भाषा, शिक्षा, साहित्य एवं शोध

ISSN 2321 – 9726

WWW.BHARTIYASHODH.COM



**INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF
MANAGEMENT SCIENCE & TECHNOLOGY**

ISSN – 2250 – 1959 (O) 2348 – 9367 (P)

WWW.IRJMSST.COM



**INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF
COMMERCE, ARTS AND SCIENCE**

ISSN 2319 – 9202

WWW.CASIRJ.COM



**INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF
MANAGEMENT SOCIOLOGY & HUMANITIES**

ISSN 2277 – 9809 (O) 2348 - 9359 (P)

WWW.IRJMSH.COM



**INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF SCIENCE
ENGINEERING AND TECHNOLOGY**

ISSN 2454-3195 (online)

WWW.RJSET.COM



**INTEGRATED RESEARCH JOURNAL OF
MANAGEMENT, SCIENCE AND INNOVATION**

ISSN 2582-5445

WWW.IRJMSI.COM



**JOURNAL OF LEGAL STUDIES, POLITICS
AND ECONOMICS RESEARCH**

WWW.JLPER.COM

JLPE